

29-7-19

आपिबन्ता उमयपक्ष उपस्थित। प्राचीन पत्र स्वयं
संबंधित मूल अपील प्रकरण का विस्तारल किया
जा चुका है इसलिये विचारणीय प्राचीन पत्र का कागज
पलाने जाने का कोई चिन्म नहीं है अतः विचारणीय
प्राचीन पत्र स्वयं खारिज किया जाता है पत्रावली
के मूल श्रुमर घेकर नम्बर से कम है एवं संलग्न मूल
आपील पत्रावली की जाये। निवेद्य आज दिनांक 29-7-19
को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर
रीवा